

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी की ओर से मास स्वयं के कथान बल्ले
गमे है तथा मास जमाबंदी प्रहुर की ही
जिनसे इसके कहने के तथ्यों को प्रमाणित
नहीं माना जा सकता है वैसे ही वादी इस
प्रहुर दस्तवेज प्रदर्श - 4 इस का कार्यवाही में
वांछित छुटोस के लिए सारगर्भित दस्तवेज
गठी होने तथा प्रतिवकीजन विवादित केशरी के
टेकाईड खातेवाट होने से वादी किसी प्रकार
के छुटोस का इतिहास नहीं है

इस का वादी साफन एवं रेकार्ड के
का कार मर प्रमाणित नहीं होने से खारिज
किया जाता है तदनुसार डिप्टी पंचा जारी
किया जाने पर मास की फिलसे में शुमार होकर
बाद पूर्ति नियमनुसार दायिस दफ्तर की
जावे।

